[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्यां 60/2021- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "एरोमेटिक या हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों के एसिटो एसिटाइल डेराइवेटिव्स, जिसे एरिलाइडस के नाम से जाना जाता है" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2924 29 20 या 2924 29 90 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधिसूचना संख्या 6/28/2020-डीजीटीआर, दिनांक 19 अगस्त, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित, के तहत इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि विषयगत देश से विषयगत वस्तु के पाटित आयात के कारण यहां के घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जरूरी है और उन्होंने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट दर पर उक्त वस्तु के सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में संगणित राशि के बराबर प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्रम संख्या	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	सीआईएफ मूल्य का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	29242920 या 29242990	"एरोमेटिक या हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों के एसिटो एसिटाइल डेराइवेटिव्स" या "एरिलाइडस"*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	क्विंगडाओ हाईवान स्पेशलिटी केमिकल्स कं, लिमिटेड	24.79
2.	29242920 या 29242990	"एरोमेटिक या हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों के एसिटो एसिटाइल डेराइवेटिव्स" या "एरिलाइडस"*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	नॉनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कं, लिमिटेड	26.64
3.	29242920 या 29242990	"एरोमेटिक या हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों के एसिटो एसिटाइल डेराइवेटिव्स" या "एरिलाइडस"*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी उत्पादक	44.90
4.	29242920 या 29242990	"एरोमेटिक या हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों के एसिटो एसिटाइल डेराइवेटिव्स" या "एरिलाइडस"*	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	44.90

* एरिलाइड के निम्नलिखित रूपों को विषयगत वस्तु के दायरे में शामिल किया गया है जबकि अन्य सभी रूपों कोशामिल नहीं किया गया है:

एसीटोएसेटानिलाइड या एएए;

एसीटोएसेट-मेटा-ज़ाइलिडाइड या एएएमएक्स

एसीटोएसेट-ओ-एनीसिडाइड या एएओए;

एसीटोएसेट-ओ-टोलुइडाइनयाएएओटी;

एसीटोएसेट-ओ-क्लोरोएनिलाइड या एएओसीए

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण (1) - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

स्पष्टीकरण (2) - इस अधिसूचना के उद्देश्य से "सीआईएफ मूल्य" से अभिप्राय उस आंकलन योग्य मूल्य से है जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया गया हो, इसमें बीमा और किराया लागत भी शामिल है ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी 190354/205/2021-टीओ (टीआरयू-।)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार